

16.10.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपरिथत नहीं। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो गया है।
इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी
होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष
नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।

महान
सहायक कलक्टर
एवं उपायुक्त हाजरी
हनुमानगढ़

